

तारीख हुक्म

28/10/21

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभिमान वर्ष 2021 केम्प स्थल झोसल में पैरा हुई। प्रकरण में 26/06/2013 को अन्तिम निर्णय पारित हो चुका है, जिसकी पाबन्दा भी हो चुकी है। उक्त निर्णय के विरुद्ध आवित्री व गणु देवी ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी धनुमानगढ़ के समक्ष अपील पैरा की थी। जिसमें पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध सीताराम व सुबैसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान हाजमेर में द्वितीय अपील पैरा की, जो भी इस आशय के साथ निस्तारण की गई कि पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। अपील के दौरान ही न्यायालय हाजों के निर्णय की अपीलान्त साविकी व गणु देवी ने अपनी सम्पूर्ण खतौदारी सीताराम को बेच कर दी। इस प्रकार न्यायालय हाजों की डिक्री चुनौती देने वाले के स्थान पर सीताराम आ गया। जो कि न्यायालय हाजों द्वारा पारित निर्णय में अपनी सहमति झकट की। इसलिए उक्त निर्णय में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार ही प्रकरण के सला सुमार किया जाता है। पत्रावली नम्बर सै कम की जाकर दायित्व पपतर ही

Vikas
पुरेन्द्र
क. ल. सि. म. प.
अ. वि. नि. म. प.
अ. ज. उ. म. प.
ध. व. ग.
द. र. प. म. प. नि. म. प.
ओ. म. म. म.

सु. न.
सी. व. रा. म.